तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01, जयपुर महानगर द्वितीय** **बोदू वगैरा बनाम मै. रिजिट कन्डेक्टर्स** **मुकदमा संख्या 12/2014** **सीआईएस नम्बर–47345/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2026	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में वादी के दो प्रार्थना पत्र लंबित हैं। जो आदेश में नियत हैं बहस विगत पेशी पर सुनी जा चुकी है। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के संबंध में वादी का कहना है कि जिस विक्रय पत्र को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है सहवन से अनुतोष के मद में उसकी पुस्तक नम्बर जिल्द नम्बर टंकित करने से रह गये हैं, जिनमें संशोधन की अनुमति दी जावे। जिसके मौखिक जवाब में प्रतिवादी अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में साक्ष्य वादी लेखबद्ध होकर प्रतिवादी साक्ष्य में चल रहा है एवं प्रार्थना पत्र विलम्ब कारित करने के आशय से पेश किया गया है, जो खरिज किये जाने योग्य है। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने से चाहा गया अनुतोष किसी नये तथ्य के संबंध में ना होकर पूर्व में जो अनुतोष चाहा गया है उसी के संबंध में जिसकी विक्रय पत्र की प्रति भी पत्रावली पर है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र के पृष्ठ संख्या 16 की द्वितीय पंक्ति में उपपंजियक सांगानेर दिनांक 28.06.99 को पुस्तक संख्या 1 व जिल्द संख्या 269, क्रम संख्या 32, 33, पृष्ठ संख्या 135 से पंजिकृत किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 682 पेज संख्या 136 से 140 पर पंजिकृत किया गया, की हद तक संशोधित किये जाने की अनुमति दी जाती है। सिविल लिपिक उपरोक्तानुसार वाद पत्र के अनुतोष मद में संशोधन करे। वादी द्वारा पेश अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 11	

	नियम 12 एवं 14 सीपीसी के संबंध में यह कहना है कि प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांकित 31.12.99, जो कि चैक संख्या 832635 राशि दो लाख और चैक संख्या 832636 राशि 2,98,000 रूपये दिनांकित 31.05.99 के जरिये बैंक ऑफ बडोदा शाखा एमआई रोड़ जयपुर के मार्फत दिया जाना विक्रय पत्र में उल्लेखित है, जबकि वादीगण के पूर्वज रामनाथ द्वारा कभी किसी बैंक में खाता नहीं खुलवाया गया एवं इस संबंध में बैंक में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर बैंक द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। अतः उक्त दोनों चैक के संबंध में उक्त चैक किसके खाते में सिकराया का रिकॉर्ड बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा एमआई रोड़, जयपुर से मंगाया जावे। जिसके मौखिक जवाब में प्रतिवादी अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलम्ब करने के आशय से पेश किया गया है एवं प्रश्नगत विक्रय पत्र निष्पादित होने से 7–8 वर्षों की अवधि तक वादीगण का पूर्वज रामनाथ जीवित रहा है, किन्तु इस प्रकार का कोई आक्षेप पूर्व में नहीं लगाया गया है एवं प्रश्नगत विक्रय पत्र 25 वर्ष से अधिक अवधि का होने के कारण प्रतिवादी के कार्यालय में वर्तमान में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, किन्तु आईटीआर जो भरी गई उससे संबंधित दस्तावेज न्यायालय में पेश कर दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने कार्यालय में रिकॉर्ड अत्यंत पुराना होने के कारण उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है, दूसरी ओर वादी द्वारा संबंधित बैंक में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी प्रति न्यायालय में पेश की गई है एवं इस न्यायालय की राय में यदि उक्त दोनों चैक के संबंध में कोई सूचना संबंधित बैंक से मंगा ली जाती	

	है तो किसी भी पक्ष को प्रीज्यूडिश होना माने जाने योग्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रबंधक बैंक ऑफ बडोदा शाखा एमआई रोड जयपुर को तहरीर इस आशय की जारी हो कि विक्रेता मैसर्स रिजिट कन्टेक्टर्स राजस्थान प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी चैक 832635 राशि 2,00,000, एवं चैक 832636 राशि 2,98,000, दिनांकित 31.05.99 के तहत क्या कोई भुगतान हुआ है एवं यदि हां तो किसके खाते में, इस प्रकार प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने सूचना दिनांक 18.02.2026 को पेश हो। (बी. एल. चन्देल) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01, जयपुर महानगर द्वितीय	